

आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 309/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

बैंक ऑफ इन्डिया शाखा- ए-11, गणपति पैराडाइज, सेंट्रल स्पाइन स्कीम, विद्याधर नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय बैंक

बनाम

1. मैसर्स गणेशा किड्स वियर प्रो. श्रीमती सुशीला चन्दनानी पत्नी श्री रमेश चन्दनानी,
पता-
अ. जी-2, टाईम्स स्कवायर, सेंट्रल स्पाइन, विद्याधर नगर, जयपुर राजस्थान।
ब. जी-20-21, कृष्णा नगर, सेंट्रल स्पाइन, विद्याधर नगर, जयपुर, राजस्थान।
स. 504, द्वारिका टावर, सेंट्रल स्पाइन, विद्याधर नगर, जयपुर राजस्थान।
द. केयर ऑफ मैसर्स दीप्ति फैशन, 70/02, पटेल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान।
य. खसरा सं. 1447 व 1448 का भाग, ग्राम चौरासियावास, फ्रेण्ड्स कॉलोनी, वैशाली नगर के
पास, अजमेर (राज.)।
र. मकान नं. 13, ईडब्ल्यूएस, अजय नगर गृह निर्माण आवासीय योजना, अजमेर राज.।
ल. वृन्दावन, सेंट्रल स्पाइन, विद्याधर नगर, जयपुर (राजस्थान)।
2. श्रीमती सावित्री देवी प्रेमजानी पत्नी श्री भगवान दास,
अ. 210, गणपति पैराडाइज, सेंट्रल स्पाइन, विद्याधर नगर, जयपुर, राजस्थान।
ब. 201, गणपति पैराडाइज, सेंट्रल स्पाइन, विद्याधर नगर, जयपुर, राजस्थान।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर




The application under section 14 of the Securitization and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act.2002.

उपस्थित :- श्री सत्येन्द्र प्रसाद खोरानियां अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक 16.06.2022.


1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.05.2014 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी मैसर्स गणेशा किड्स वियर, प्रो. सुशीला चन्दनानी पत्नी श्री रमेश चन्दनानी के स्वामित्व की जी-20-21, कृष्णा नगर, सेंट्रल स्पाइन, विद्याधर नगर, जयपुर, राजस्थान पर स्थित केश क्रेडिट हाईपोथिकेशन लिमिटेड लोन खाते (खाता सं.


जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

663430110000047) में हाईपोथिकेटेड स्टॉक ऑफ किड्स वियर एण्ड रेडीमेड गारमेन्ट्स इत्यादि, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर, ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक-डेब्ट्स, आउटस्टेन्डिंग, रिसीवेबल, सिक््योरिटीज, एसेसरीज एण्ड अदर मूवेबल फिक्स्ड असेट्स, फर्नीचर, फिक्चर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि (हाईपोथिकेशन कम लोन एग्रीमेन्ट दिनांकित 21/07/2014 में विस्तृत रूप से पारिभाषित) को हाईपोथिकेट रख कर 36,00,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 13.09.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थीगणों को 36,00,000/- रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति हाईपोथिकेशन के रूप में प्रार्थी वित्तीय बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 37,43,454.88/- रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 13.09.2018 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है इसके अतिरिक्त दो दैनिक समाचार पत्रों में 13(2) के नोटिस को प्रकाशित कराया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

5. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय बैंक के पक्ष में अप्रार्थी मैसर्स गणेशा किड्स वियर, प्रो. सुशीला चन्दनानी पत्नी श्री रमेश चन्दनानी के स्वामित्व की जी-20-21, कृष्णा नगर, सेन्द्रल स्पाईन, विद्याधर नगर, जयपुर, राजस्थान पर स्थित केश क्रेडिट हाईपोथिकेशन लिमिटेड लोन खाते (खाता सं. 663430110000047) में हाईपोथिकेटेड स्टॉक ऑफ किड्स वियर एण्ड रेडीमेड गारमेन्ट्स इत्यादि, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर, ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक-डेब्ट्स, आउटस्टेन्डिंग, रिसीवेबल, सिक््योरिटीज, एसेसरीज एण्ड अदर मूवेबल फिक्स्ड असेट्स, फर्नीचर, फिक्चर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि (हाईपोथिकेशन कम लोन एग्रीमेन्ट दिनांकित



जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

21/07/2014 में विस्तृत रूप से पारिभाषित) का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर



7. आदेश आज दिनांक 16.06.2022 को सारे इजलास सुनाया गया।

(Signature)
 (राजनी विशाल)
 16/06/22
 जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर